सं० : 8/2026/560/94-1-2026-312(35)/2023

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर सचिव,
राजस्व परिषद्
उ०प्र० प्रयागराज।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनु०-1 **लखनऊ, दिनांक : 12 मार्च, 2026**

विषय- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरण आदि तथा नगर विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2025 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-10/2025/618/94-1-2025-312(35)/2023 दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा अचल सम्पत्तियों के अन्तरण/विलेखों में अंकित प्रतिफल/बाज़ार मूल्य पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की धनराशि के अलावा वसूली गयी 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत शासनादेश के प्रस्तर (2)(स) को निम्नवत संशोधित किया जाता है :-

"2(स)-

I. स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा नगर निकायों, डेडीकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को देय अन्तरण हेतु बजट की व्यवस्था स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अनुदान से की जाएगी।

II. स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा संबंधित संस्थाओं को भुगतान अर्धवार्षिक (छमाही) आधार पर किया जाएगा। छमाही की गणना वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम छमाही से ही प्रारम्भ मानी जाएगी।

III. वित्तीय वर्ष 2024-25 की द्वितीय छमाही (अक्टूबर, 2024-मार्च, 2025) की अवशेष धनराशि का भुगतान, संस्था के प्रशासकीय विभाग की संस्तुति पर, बिना अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र के किया जाएगा।

IV. अर्धवार्षिक (छमाही) भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही की धनराशि का भुगतान तभी किया जाएगा, जब विगत वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया गया हो। इसी प्रकार किसी भी वित्तीय वर्ष की द्वितीय छमाही की धनराशि का भुगतान तभी किया जाएगा, जब विगत वित्तीय वर्ष की द्वितीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

छमाही का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया गया हो। आगामी भुगतानों की कार्यवाही भी इसी क्रम में की जाएगी।

v. जिन संस्थाओं द्वारा किसी प्रचलित वित्तीय वर्ष के गत वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रचलित वित्तीय वर्ष के माह सितम्बर तक उपलब्ध करा भी दिया जाता है, तब भी चूँकि प्रचलित वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही का स्टाम्प शुल्क का संग्रहण दिनांक 30 सितम्बर तक पूर्ण होता है, अत: ऐसी संस्थाओं को उस प्रचलित वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही की धनराशि का भुगतान दिनांक 30 सितम्बर के पश्चात ही किया जाएगा। तथापि, प्रशासकीय विभाग/ संबंधित निदेशालय की संस्तुति प्राप्त होने की स्थिति में उन्हें उस प्रचलित वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास (अप्रैल-जून) की धनराशि का भुगतान उक्त गत वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए जाने पर दिनांक 30 जून के पश्चात भी किया जा सकता है।

इसी प्रकार, जिन संस्थाओं द्वारा किसी प्रचलित वित्तीय वर्ष के गत वित्तीय वर्ष की द्वितीय छमाही की धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रचलित वित्तीय वर्ष के माह मार्च तक उपलब्ध करा दिया जाता है, तब भी चूँकि प्रचलित वित्तीय वर्ष की द्वितीय छमाही का स्टाम्प शुल्क का संग्रहण दिनांक 31 मार्च तक पूर्ण होता है, अत: ऐसी संस्थाओं को उस प्रचलित वित्तीय वर्ष की द्वितीय छमाही की धनराशि का भुगतान दिनांक 31 मार्च के पश्चात ही किया जाएगा। तथापि, प्रशासकीय विभाग/ संबंधित निदेशालय की संस्तुति प्राप्त होने की स्थिति में उन्हें उस प्रचलित वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमास (अक्टूबर-दिसम्बर) की धनराशि का भुगतान उक्त गत वित्तीय वर्ष की द्वितीय छमाही का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए जाने पर दिनांक 31 दिसम्बर के पश्चात भी किया जा सकता है।

यदि भुगतान किसी राज्य स्तर की संस्था (निदेशालय आदि) को किया जाता है तो जहाँ-जहाँ प्रशासकीय विभाग/ निदेशालय की संस्तुति का उल्लेख है वहाँ प्रशासकीय विभाग की ही सस्तुति अनिवार्य होगी।

vi. संस्थाओं को संबंधित छमाही की धनराशि के निर्गमन की तिथि से अधिकतम 18 माह की अवधि के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पात्र अवधि का भुगतान वित्त विभाग की सहमति से ही किया जायेगा। यदि वित्त विभाग द्वारा उक्त अवधि के भुगतान हेतु अनुमति प्रदान नहीं की जाती है, तो संबंधित संस्था को भुगतान हेतु पात्र छमाही के बाद की अगली छमाही का भुगतान कर दिया जायेगा तथा पात्र छमाही की धनराशि lapse मानी जायेगी तथा चक्रानुक्रम तद्नुसार संशोधित हो जायेगा।

उदाहरणार्थ-*यदि वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम छमाही की धनराशि किसी संस्था को दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को निर्गत की जाती है और उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2027 (अर्थात 18 माह की अधिकतम अवधि) तक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा उसके उपरान्त प्रस्तुत किया जाता है, तो वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम छमाही की धनराशि का भुगतान वित्त विभाग की सहमति से ही किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा उक्त अवधि के भुगतान हेतु सहमति प्रदान नहीं किये जाने पर वित्तीय वर्ष 2026-27 की द्वितीय छमाही की धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम छमाही की धनराशि lapse मानी जाएगी।"*

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. उपरोक्त सीमा तक शासनादेश सं०-10/2025/618/94-1-2025-312(35)/2023 दिनांक 27 मार्च, 2025 को संशोधित समझा जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शेष शर्तें/प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
5. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
6. महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
7. आयुक्त, स्टाम्प, उ०प्र० प्रयागराज/शिविर कार्यालय लखनऊ।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
10. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन।
11. निदेशक, कोषागार, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनु०-9/वित्त (लेखा) अनु०-2, उ०प्र० शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।